न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– मनोज, (R.A.S.)

नामान्तरकरण अपील संख्या 01/2021 **GCMS No. 2021/213**

अपीलान्ट ::-

1. गोगादेवी उम्र 48 वर्ष जाति जाट पुत्री स्व. श्री भागीरथजी, निवासी भंवरपुरा धर्म पत्नि गंगाराम निवासी रावां तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स ::-

1. हीराराम पुत्र स्व. सुखाराम उम्र 57 वर्ष जाति जाट निवासी नेटवालो की ढ़ाणी, भंवरपुरा (उगरपुरा) तहसील कुचामनसिटी
2. पटवारी हल्का ग्राम उगरपुरा, तहसील कुचामनसिटी
3. सरपंच ग्राम पंचायत उगरपुरा, पंचायत समिति कुचामनसिटी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश (निर्णय) ग्राम पंचायत उगरपुरा पंचायत समिति कुचामनसिटी दिनॉक 05.04.2021 जिसके द्वारा राजस्व ग्राम भंवरपुरा के खसरा नम्बर 625/83 व 626/148 की कृषि भूमि की रिकार्डेड खातेदार छोटी पत्नि भागीरथ के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हीराराम का अपीलांट के साथ नामान्तरकरण संख्या 413 स्वीकृत किया।

उपस्थित – श्री बलजीतसिंह चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 06/12/2023

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि गोगादेवी स्व. श्री भागीरथ पुत्र स्व. केसाराम जाट (नेटवाल) निवासी भंवरपुरा तहसील कुचामनसिटी की इकलौती सन्तान (पुत्री) है, वर्तमान राजस्व ग्राम भंवरपुरा मूल ग्राम उगरपुरा में से बना है एवं राजस्व ग्राम उगरपुरा मुल राजस्व ग्राम आनन्दपुरा में से बना था, अपीलान्ट की माता का नाम छोटी देवी है, अपीलान्ट की माता श्रीमती छोटीदेवी का दिनॉक 06.12.2017 को निर्वसीयति देहान्त हो चुका है, अपीलान्ट के पिता भागीरथ जी का देहान्त सम्वत 2032 में अपीलान्ट के दादा केसाराम के जीवनकाल में ही अपीलान्ट की तीन वर्ष की उम्र में ही हो गया था, ग्राम भंवरपुरा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 625/83 रकबा 1.95 हैक्टर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 626/148 रकबा 1.74 हैक्टर चाही प्रथम जाव कुल रकबा 3.69 हैक्टर [illegible] 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि अपीलान्ट के अधिकारों [illegible] अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 413 से पूर्व यह सम्पूर्ण भूमि अपीलान्ट की माता श्रीमती [illegible] भागीरथ जी के नाम दर्ज थी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी (कुचामन सिटी) (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

अपीलाधीन नामान्तरण द्वारा रेस्पोडेन्टस संख्या एक हीराराम ने आधी भूमि स्वयं के नाम व आधी भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज करवाई है, रेस्पोडेन्ट ने स्वयं का नाम गलत दर्ज कराया है, रेस्पोडेन्ट हीराराम अपीलान्ट का भाई नही है, अपीलान्ट की माता छोटी देवी का दत्तक पुत्र नही है। उपरोक्त वर्णित भूमि व अन्य भूमियॉ (अपीलान्ट की माता के नाम दर्ज होने से पूर्व) अपीलान्ट के दादा केसाराम के नाम दर्ज थी, अपीलान्ट के दादा केसाराम जी के देहान्त के बाद जब केसाराम जी का फौतगी नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट हीराराम व उसके पिता वगैरह ने करवाया तब अपीलान्ट के पिता भागीरथ जी के हिस्से में केवल अपीलान्ट की माता छोटीदेवी का ही नाम दर्ज करवाया, अपीलान्ट के बड़े पिता सुखाराम व रेस्पोडेन्ट हीराराम वगैरह ने बदनियती पूर्वक अपीलान्ट का नाम अपीलान्ट की माता के साथ दर्ज नही करवाया, लेकिन अपीलान्ट को इसकी जानकारी होने पर अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत आनन्दपुरा द्वारा स्वीकृती पूर्व नामान्तरकरण संख्या 207 दिनॉक 19.01.1983 की अपील, अपील संख्या 03/2018 उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के न्यायालय में प्रस्तुत की जो दिनॉक 23.07.2018 को स्वीकार हो गई, मामला तहसीलदार साहब को रिमाण्ड किया गया, अपील संख्या 03/2018 में श्रीमान द्वारा पारित आदेश दिनॉक 23.07.2018 की पालना तहसीलदार साहब द्वारा की जानी शेष है। अपीलान्ट के माता–पिता का निर्वसीयती देहान्त हो चुका है, अपीलान्ट के कोई सगा भाई अथवा गोद (दत्तक) भाई नही है, अपीलान्ट के माता–पिता ने रेस्पोडेन्ट हीराराम को अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को कभी गोद (दत्तक) भी नही लिया, अतः उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 625/83 एवं 626/148 सरहद ग्राम भंवरपुरा की सम्पूर्ण 3.69 हैक्टर भूमि जो पूर्व में अपीलांट के पिता भागीरथ जी व उनके बाद अपीलान्ट की माता श्रीमति छोटी के नाम दर्ज थी, अपीलान्ट के अधिकारों एवं आधिपत्य की सम्पति है। रेस्पोडेन्ट एवं रेस्पोडेन्ट के परिवारजनों की नियत शुरू से ही अपीलान्ट की उपरोक्त वर्णित जमीनें हड़पने की ही रही है, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हीराराम व उसके भाई, भतीजे एंव उसके अन्य साथियों ने उप पंजियक कार्यालय कुचामनसिटी के पंजियन लिपिक व डीड राईटर आदि से मिलावट कर दिनॉक 05.04.2018 को अपीलान्ट के साथ कपट एवं धोखा कर अपीलान्ट की इन जमीनों बाबत एक पंजीबद्व हकत्याग पत्र जबरन करवा लिया एवं अपीलान्ट के पति के साथ मारपीट आदि भी की, उक्त पंजिबद्व हकत्याग पत्र में लिखे कथनो से अपीलान्ट को प्रथम बार दिनॉक 06.04.2018 को यह जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हीराराम ने अपने पक्ष में एक पंजीबद्व गोदनामा उप पंजीयक कुचामनसिटी कार्यालय में दिनॉक 13.12.2002 को करवाया है जिसमें अपीलान्ट की माता छोटीदेवी द्वारा रेस्पोडेन्ट हीराराम को गोद लेना दर्शित किया है, अपीलान्ट ने उक्त पंजीबद्व हकत्या गपत्र एवं पंजीबद्व गोदनामा दिनॉक 13.12.2002 को निरस्त करवाने के वाद श्रीमान वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश परबतसर के न्यायालय में दिनॉक 05.04.2021 को प्रस्तुत कर दिये। विवादित पंजीबद्व गोदनामा दिनॉक 13.12.2002 कपट एवं धोखे से तैयार किया गया अवैध दस्तावेज है जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है, इसका को[illegible] महत्व ही नही है, अपीलान्ट की माता छोटीदेवी ने न तो रेस्पोडेन्ट [illegible] लिया एवं न ही हीराराम का यह गोदनामा कानूनन हो सकता है, रेस्पोडेन्ट संख्या 0[illegible] करीब 16 वर्षो तक इस गोदनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

को छिपाये रखा, अपीलान्ट की माता के देहान्त के भी करीब चार माह बाद दिनॉक 05.04.2018 को एवं वो भी अपीलान्ट की जमीने हड़पने की बदनियती से अपीलान्ट से कपट एवं धोखे से कराये हकत्याग पत्र में अंकन कर विवादित गोदनामा को प्रथम बार दर्शित किया एवं उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट 01 हीराराम ने इस विवादित गोदनामा का दुरूपयोग कर अपीलान्ट की जमीने हड़पने की बदनियती से नामान्तरकरण संख्या 413 दिनॉक 05.04.2021 को करवाया है, नामान्तरकरण संख्या 413 को ग्राम पंचायत की उगरपुरा सरपंच ने दिनॉक 05.04.2021 के प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा स्वीकृत करना लिखा है एंव इसे दिनॉक 24.03.2021 के प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा खोलना दर्शाया है, उक्त नामान्तरकरण संख्या 413 को दिनॉक 16.3.2021 में पटवारी हल्का ने खोला है, दिनॉक 22.03.2021 में भू-अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट की है तथा उक्त अपीलाधीन आदेश/नामान्तरकरण के विरूद्व अपीलान्ट की ओर से यह अपील प्रस्तुत है जिसके मुख्य आधार निम्नलिखित है :-

I. पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं योग्य अधीनस्थ अदालत ग्राम पंचायत उगरपुरा ने अपीलाधीन आदेश/निर्णय करने में कानूनी एवं वाक्याति भूल की है।

II. अपीलाधीन आदेश /नामान्तरकरण द्वारा अपीलान्ट की माता श्रीमति छोटी पत्नि भागीरथ के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हीराराम व अपीलान्ट का नाम दर्ज किया गया है जो अपीलान्ट से चुपके-चुपके किया गया है अपीलान्ट की माता का नामान्तरकरण स्वयं अपीलान्ट के भी पक्ष में करते हुए भी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया, अपीलान्ट से चुपके-चुपके सारी कार्यवाही की गई, अपीलान्ट के अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हुए भी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर न देकर नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो की हत्या की गई।

III. अपीलाधीन आदेश/नामान्तरकरण के समय यदि अपीलान्ट को सुना जाता तो अपीलान्ट उक्त विवादित गोदनामा की वास्तविक एवं कानूनी स्थिति योग्य अधीनस्थ अदालत ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक को बताती एवं फिर ये लोग अपीलाधीन नामान्तरकरण नही कर पाते, इस अपील मीमों के साथ अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित गोद निरस्ती की घोषणा का जो वाद प्रस्तुत कर रखा है उस वाद पत्र की प्रति संलग्न प्रस्तुत है, जिसमें उल्लेखित कथनो से यह प्रथम दृष्टया साबित हो जाता है कि उक्त गोद फर्जी, कपट पूर्वक गलत एवं अवैध है।

IV. अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट हीराराम वगैरह के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा एवं इस्तकरार हक बाबत राजस्व वाद 45/2018 उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के न्यायालय में दिनॉक 12.04.2018 को ही प्रस्तुत कर दिया था एवं जो अभी विचाराधीन है इस वाद में अपीलान्ट के माता पिता द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हीराराम को गोद नही लेने के कथन लिखे है, इस वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन संख्या 73/2018 में दिनॉक 12.04.2018 को न्यायालय द्वारा [illegible] की यथास्थिति बनाने रखने के अन्तरिम आदेश दिये गये थे, जो दिनॉक 1[illegible].2021 तक प्रभावी रहे, दिनॉक 12.03.2021 को प्रार्थना-पत्र [illegible] के बाद राजस्व रिकार्ड से

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधि. कार्या. कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

स्थगन का नोट हटाने के पूर्व भी अपीलान्ट को नही पूछा गया, इस प्रार्थना–पत्र संख्या 73/2018 के खारिज हो जाने मात्र से अपीलान्ट का वाद खारिज नही हो जाता है।

V. संबधित पटवारी हल्का एंव ग्राम पंचायत की सरपंच को यह व्यक्तिगत जानकारी थी कि पक्षकारान के बीच इस भूमि के सम्बन्ध में भंयकर विवाद है एवं अदालतो में मुकदमें बाजी विचाराधीन है, इन सबके बावजूद पटवारी हल्का एवं सरपंच महोदया ने बदनियती पूर्वक रेस्पोडेन्ट हीराराम से मिलकर उक्त गलत नामान्तकरण अपीलान्ट से चुपके–चुपके किया है जो गलत है एवं इसी कारण इन्हे इस अपील में पक्षकार भी बनाया गया है।

VI. इन्ही जमीनों बाबत उपरोक्त वर्णित पूर्व नामान्तरकरण संख्या 207 दिनॉक 19.01.1983 की अपील संख्या 03/2018 न्यायालय द्वारा दिनॉक 19.01.1983 की अपील संख्या 03/2018 न्यायालय द्वारा दिनॉक 23.07.2018 को स्वीकार होकर रिमाण्ड होकर तहसीलदार साहब के समक्ष पेन्डिंग है, अत्यन्त पुराना व विवादित गोदनामा होते हुए, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय में वाद विचाराधीन होते हुए एवं पूर्व नामान्तरकरण संख्या 207 की कार्यवाही पेडिंग रहते हुए इस नामान्तरकरण को करने का क्षेत्राधिकार ही योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत उगरपुरा को नही था।

अपीलान्ट की इस्तदुआ है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत उगरपुरा द्वारा दिनॉक 05.04.2021 को स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 413 ग्राम भंवरपुरा एवं इससे सम्बन्धित ग्राम पंचायत के बैठक प्रस्तावो को निरस्त फरमाया जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे।

दस्तावेजी साक्ष्य में अपीलान्ट की ओर से नामा. सं. 413 की प्रमाणित प्रति, जमाबंदी सम्वत 2074–2077 ग्राम भंवरपुरा के खाता सं. 37 खसरा नम्बर 625/83, 626/148 की नकल, मिलान क्षेत्रफल की छाया प्रति, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–2065, गोदनामा की छाया प्रति, हक त्याग की छाया प्रति, वाद सं. 45/2018 की छाया प्रति, प्रार्थना–पत्र 73/18 की आदेशिकाएं की छाया प्रति, अपील सं. 3/18 की छाया प्रति, संभागीय आयुक्त न्यायालय अजमेर की अपील सं. 2019 की आदेशिकाओ एवं मीमो की छाया प्रति, फौजदारी परिवाद मय आदेशिकाए की छाया प्रति, हक त्याग निरस्ती वाद पत्र की छाया प्रति, नामा. सं. 413 का पंचायत प्रस्ताव 5.4.21 की छाय प्रति, जमाबंदी सम्वत 2074–77 खाता सं. 67 की छाया प्रति, तहसीलदार सा. को प्रस्तुत आवेदन पत्र 24.3.21 की छाया प्रति, पंचायत का प्रमाण–पत्र 19.07.18 की छाया प्रति, आर.टी.आई. में उप पंजियक नावां का उत्तर 25.5.22 की छाया प्रति, प्रमाण पत्र सरपंच/ग्राम सेवक की छाया प्रति, लॉग बुक तहसीलदा/उप पंजीयक की छाया प्रति प्रस्तुत क[illegible] त्याग की छाया प्रति, नकल खतौनी सम्वत 2021–2024, 2037–2040, 2041[illegible]44, [illegible]70–2073 की छाया प्रति, मिसल बन्दोबस्त की छाया प्रति, नामा सं. 207 [illegible] लिखित की छाया प्रति, नकल खसरा मिलान की छाया प्रति, नकल मृत्यु [illegible] छाया प्रति, नकल बिजली बिल की

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

छाया प्रति, नकल नक्शा की छाया प्रति, नकल आधार कार्ड की छाया प्रति, नकल राशन कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपील अपीलान्ट द्वारा मनगढ़ंत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत की गई है, भागीरथराम रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता थे तथा अपीलान्ट गोगादेवी उसकी बहन है। माता छोटीदेवी का देहान्त दिनॉक 06.12.2017 को हो गया था; ग्राम भंवरपुरा के खसरा नम्बर 625/83, 626/148 में छोटीदेवी पत्नि भागीरथराम के नाम दर्ज चली आ रही थी तथा रेस्पोडेन्ट के पिता भागीरथराम का देहान्त हो जाने के बाद माता छोटीदेवी ने दिनॉक 13.12.2002 में गोदनामा रेस्पोडेन्ट के हक में पंजीबद्व करवाया इस अनुसार रेस्पोडेन्ट के पिता भागीरथराम के दो सन्तान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 है जिसक सजरा खानदान जवाब में दर्शित किया गया है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 413 प्रस्ताव सं. 2 दिनॉक 05.04.2021 को ग्राम पंचायत के सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव रख के किया गया है जिसमे ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच व वार्ड पंच तथा पंचायत के सदस्य मौजूद होकर प्रस्ताव लिया गया, जिसमें सभी के हस्ताक्षर किये हुये है, उक्त जवाब के साथ में ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये प्रस्ताव की प्रति संलग्न प्रस्तुत की है। इसलिए उक्त अपील खारिज योग्य है, रेस्पोडेन्ट को छोटी देवी ने गोद लिया, जिसका गोदनामा उप पंजीयक कार्यालय कुचामनसिटी में दिनॉक 13.12.2002 को पंजीबद्व है तथा अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि का हक त्याग रेस्पोडेन्ट हीराराम दत्तक पुत्र भागीरथराम के पक्ष में दिनॉक 05.04.2018 को क्रम संख्या 201803471101246 पर पंजीबद्व कर दो साक्ष्यों के सम्मुख रजू पुछ के किया तथा उक्त हक त्याग में रेस्पोडेन्ट को अपना भाई मानकर किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने पिता भागीरथराम के देहान्त हो जाने के पश्चात अपीलान्ट का पालन–पोषण किया तथा उसकी शादी का सम्पूर्ण खर्चा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हीराराम ने वहन किया है। रेस्पोडेन्ट को भागीरथराम द्वारा बचपन में ही गोद रख लिया था तथा भागीरथराम का देहान्त होने पर हिन्दू रीति रिवाज से उनकी अस्थियॉ हरिद्वार में रेस्पोडेन्ट ने ही विसर्जित की थी तथा पिण्डदान अन्य क्रियाक्रम जो हिन्दू रिति रिवाज से है रेस्पोडेन्ट द्वारा किये गये थे, तथा पाग की रस्म का दस्तूर भी समाज के गणमान्य व्यक्ति व पंच पटेलो के समक्ष किया गया था व रेस्पोडेन्ट माता छोटीदेवी ने ही हीराराम का विवाह करवाया था तथा पिता भागीरथराम के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात माता छोटीदेवी की सेवा भी रेपोडेन्ट ने ही की थी तत्पश्चात माता छोटीदेवी ने दिनॉक 13.12.2002 को एक रजिस्टर्ड गोदनामा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया था। अपीलान्ट द्वारा राजस्व वाद सं. 4/2018 गोगादेवी बनाम हीराराम उपखण्ड न्यायालय में विचाराधीन है तथा एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र 73/2018 अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र को झूंठा व मनगढ़ंत मानते हुये दिनॉक 12.04.2018 को खारिज कर दिया गया जिसका आदेश सुनाया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट मय हर्जे खर्चे खारिज किया जावें।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा दोनो पक्षो द्वारा प्रस्तुत अपील एवं जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा पत्रावली दस्तावेजों की ओर ध्यान आकर्षित

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

करवाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि अनुसार भागीरथ का देहान्त सम्वत 2032 एवं छोटीदेवी की मृत्यु दिनॉक 06.12.2017 को हो चुकी है, गोदनामा दिनॉक 13.12.2002 को छोटीदेवी बेवा भागीरथराम जाट सा. भंवरपुरा द्वारा हीराराम के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जिसका पंजियन उप पंजियक कार्यालय कुचामनसिटी में हुआ है। गोगादेवी पुत्री स्व. भागीरथ जाति निवासी भंवरपुरा द्वारा दिनॉक 05.04.2018 को अपना हक हिस्सा हीराराम दत्तक पुत्र स्व. भागीरथ जाति भंवरपुरा के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जिसका पंजियन उप पंजियक कार्यालय कुचामनसिटी में पंजिबद्व हुआ है। उक्त हक त्याग में प्रश्नगत भूमि ग्राम भंवरपुरा के खसरा नम्बर 625/83, 626/148 कुल रकबा 3.69 हैक्टर का उल्लेख है। उक्त प्रश्नगत खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 26 मी. 46 मी से बने है। राजस्व वाद सं. 45/2018 गोगादेवी बनाम हीराराम वगैरह तनकियात स्तर पर विचाराधीन है। प्रार्थना–पत्र 73/2018 गोगादेवी बनाम हीराराम अर्न्तगत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 212 दिनॉक 12.03.2021 का खारिज हो चुका है। नामान्तरकरण सं. 207 दिनॉक 19.01.1983 की अपील सं. 3/2018 गोगादेवी बनाम ग्राम पंचायत आनन्दपुरा वगैरह में दिनॉक 23.07.2018 को निर्णय पारित होकर तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रकरण में गुणवागुण के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त अपील संख्या 3/2018 निर्णय दिनॉक 23.07.2018 की द्वितीय अपील माननीय संभागीय आयुक्त महोदय अजमेंर के यहॉ हीराराम द्वारा की जाने पर प्रकरण विचाराधीन है। माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत फौजदारी प्रकरण 79/2019 दिनॉक 15.10.2019 को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज हो चुका है। माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, परबतसर के यहॉ गोगादेवी द्वारा दीवानी मूल वाद हकत्याग पत्र दिनॉक 05.04.2018 निरस्त करने बाबत प्रस्तुत कर रखा है जिसमें आदेशिका 03.08.2021 के पश्चात की आदेशिकाओ की नकल प्रस्तुत नही की गई है। ग्राम पंचायत प्रस्ताव की प्रस्तुत नकलो अनुसार ग्राम भंवरपुरा के खसरा नम्बर 625/83, 626/148 में नामा. सं. 413 का हवाला दिया गया है तथा छोटीदेवी पत्नि भागीरथ जाट की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण गोगादेवी पुत्री भागीरथ एवं हीराराम गोद पुत्र भागीरथ के नाम पारित किये जाने की ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति जारी की गई है। नकल खतौनी सम्वत 2074–2077 ग्राम भंवरपुरा के खाता संख्या 37 खसरा नम्बर 625/83, 626/148 कुल रकबा 3.69 हैक्टर में गोगादेवी पुत्री भागीरथ हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार, हीराराम दत्तक पुत्र भागीरथ हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज अंकित है। उपरोक्त भूमि से संबंधित नामान्तरकरण रूकवाने के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत अनुसार किसी न्यायालय के स्थगन का हवाला नही दिया गया है। सूचना का अधिकार अनुसार लॉग बुक की छाया प्रति अनुसार तहसीलदार/उप पंजियक का नावां भ्रमण उसमें अंकित समय पर बताया गया है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–2065 ग्राम भंवरपुरा के खसरा नम्बर 83, 148 कुल रकबा 5.[illegible] में मोहन पुत्र केसा कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर [illegible] में मोहनराम पुत्र केसाराम 1/2 हि. छोटी बेवा भागीरथ 1/4 हि. प्रेमराम पुत्र [illegible] 1/4 हि. जाति जाट सा. देह

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

खातेदार दर्ज है। खसरा नम्बर 625/83, 626/148 कुल रकबा 3.69 हैक्टर में मु. छोटी बैवा भागीरथ कौम जाट सा. देह खातेदार दर्ज है। नकल खतौनी सम्वत 2025–2028 खसरा नम्बर 26 रकबा 64 बीघा 5 बिस्वा में केसिया पुत्र दाना कौम जाट सा. देह खातेदार प्रविष्टि दर्ज है, खसरा नम्बर 46 रकबा 43 बीघा खसरा नम्बर 46/1 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 43 बीघा 2 बिस्वा में केसा पुत्र दाना कौम जाट 3/4 रूडा पुत्र अमरा जाट हि. 1/4 सा. देह खातेदार दर्ज है, सम्वत 2029–2032 मे भी उपरोक्तानुसार प्रविष्टि दर्ज है। सम्वत 2037–2040 में खसरा नम्बर 26 रकबा 64 बीघा 5 बिस्वा में केसिया पुत्र दाना कौम जाट सा. देह खातेदार प्रविष्टि दर्ज है, खसरा नम्बर 46 रकबा 43 बीघा खसरा नम्बर 46/1 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 43 बीघा 2 बिस्वा में केसा पुत्र दाना कौम जाट 3/4 रूडा पुत्र अमरा जाट हि. 1/4 सा. देह खातेदार दर्ज है नामान्तरकण सं. 207 के द्वारा सुखा भेरा मोहन पि. केसा व छोटूड़ी बेवा भागीरथ के नाम दर्ज हुई, सम्वत 2041–2044 में नम्बर 26 रकबा 64 बीघा 5 बिस्वा में सुखा भेरा मोहन पि. केसा छोटूड़ी बेवा भागीरथ जाति जाट सा. देह खातेदार प्रविष्टि दर्ज है, खसरा नम्बर 46 रकबा 43 बीघा खसरा नम्बर 46/1 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 43 बीघा 2 बिस्वा में सुखा भेरा मोहन पि. केसा छोटूड़ी बेवा भागीरथ जाति जाट 3/4 रामू खोले रूड़ा जाट हि. 1/4 सा. देह खातेदार दर्ज है। नामान्तकरण सं. 207 दिनॉक 19.01.1983 अनुसार उपरोक्त प्रविष्टि दर्ज हुई है। प्रस्तुत आधार कार्ड संख्या 577065956024 हीराराम पुत्र भागीरथराम नेटवालो की ढ़ाणी भंवरपुरा, उगरपुरा प्रविष्टि दर्ज है। राशन कार्ड सं. 008380400164 हीराराम पुत्र भागीरथराम भवंरपुरा अंकित है। वर्तमान नामान्तरकरण सं. 417 अनुसार गोगादेवी के द्वारा हक त्याग करने पर हीराराम दत्तक पुत्र भागीरथ के नाम हिस्सा दर्ज हुआ है। जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 खाता सं. 37 ग्राम भंवरपुरा के खसरा नम्बर 625/83, 626/148 कुल रकबा 3.69 हैक्टर में हीराराम दत्तक पुत्र भागीरथ हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार प्रविष्टि दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गोगादेवी पुत्री भागीरथ द्वारा अपना हक हिस्सा सम्पूर्ण हीराराम दत्तक पुत्र भागीरथ के नाम कर दिया है जिसकी पुष्टि उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से होती है। छोटी देवी पत्नि भागीरथ की मृत्यु पश्चात उसके हक हिस्से की भूमि गोगादेवी एवं हीराराम के नाम ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर किया गया है। उसके पश्चात गोगादेवी द्वारा जरिये हकत्याग पत्र दिनॉक 05.04.2018 के द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा हीराराम के पक्ष में छोड़ा गया है। जब तक सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन नियमित वादों का अन्तिम निस्तारण होकर पक्षकारों के अधिकार तय नही हो जाते है तो पंजिबद्व गोदनामा एवं हक त्यागपत्र के आधार पर दर्ज किये गये नामान्तकरण का निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। क्योंकि न्यायिक दृष्टान्त परछाराम बनाम बोर्ड के मामले में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है, जो प्रकृति से सरसरी है, जो न तो स्वत्व का सृजन करती है और नही उत्सादन। यह स्वत्व पर उपधारणात्मक भी नही [illegible] (mutation proceedings which are fiscal in nature and some does not create or extinguish title nor it has value on title)(परछाराम बनाम बोर्ड [illegible]) WLN Raj.1 इस प्रकार अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ● कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) ● सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

अपीलांट चलने योग्य नही है तथा किसी भी तरह से साबित नही होती है। अतः अपील अपीलांट साबित नही होने से काबिल खारिज योग्य पाई गई। पक्षकारों के मध्य सक्षम न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में ही वांछित अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

आदेश

अपील अपीलांट सारहीन होने से एवं साबित नही होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनॉक 06/12/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.12.28 16:32:54 IST
Reason: SelfAttested